सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
आश्विन, 22, बुधवार, शाके 1948- अक्टूबर 14, 2026 Asvina 22, Wednesday, Saka 1948- October 14, 2026	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

उद्योग एवं वाणिज्य (ग्रुप-1) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, अक्टूबर 01, 2026

संख्या प.4(11)उद्योग/1/2026 :-भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का केन्द्रिय अधिनियम संख्यांक 30) की धारा 4 की उपधारा (1) सपठित राजस्थान भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार नियम, 2016 के नियम 5 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान सरकार द्वारा निम्नानुसार सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन किये जाने हेतु अधिसूचना एतद्द्वारा जारी की जाती है:-

1. **परियोजना विकसित करने वाले का नाम:-** राजस्थान स्टेट इण्डस्ट्रियलडवलपमेंट एण्ड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (रीको)
2. **प्रस्तावित परियोजना का उद्देश्य:-**औद्योगिक क्षेत्र दईजर हेतु आवंटित 141-02 बीघा भूमि हेतु समुचित पहुंच मार्ग का निर्माण किए जाने हेतु
3. **भूमि का विवरण:-**

क्र.सं.	जिला	तहसील	ग्राम	अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)	स्वामित्व
1.	जोधुपर	जोधुपर	देसुरिया खारोलान	0.4008 हैक्टेयर	संलग्न सूची अनुसार

4. **सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन के प्रमुख उद्देश्य:-**

i. प्रस्तावित अधिग्रहण के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 के प्रावधानानुसार उचित कार्यवाही सुनिश्चित करना।

ii. प्रस्तावित अधिग्रहण के सम्पूर्ण क्षेत्र का विस्तृत दौरा कर प्रभावित होने वाले परिवारों तथा ग्राम पंचायत के प्रतिनिधियों से वार्ता करना, उनके विचार लेखबद्ध करना तथा पूर्ण

प्रचार-प्रसार के पश्चात् जनसुनवाई करना। जनसुनवाई के दौरान व्यक्त सभी विचार-विमर्श को लेखबद्ध करना।

iii. प्रस्तावित अधिग्रहण क्षेत्र में प्रभावित होने वाले परिवारों के जीविकोपार्जन पर होने वाले प्रभाव एवं उचित मुआवजे का आंकलन करना।

iv. प्रभावित होने वाले परिवारों पर सम्भावित आर्थिक एवं सामाजिक प्रभाव का आंकलन करना तथा उनके पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन करने हेतु प्रबन्धन योजना प्रस्तुत करना।

v. प्रस्तावित अधिग्रहण लोक प्रयोजनार्थ है, यह सुनिश्चित करना।

vi. प्रस्तावित अधिग्रहण से प्रभावित होने वाले परिवारों की संख्या का सही आंकलन करना तथा उनके जीविकोपार्जन के वर्तमान साधनों का ज्ञात करना।

vii. प्रस्तावित अधिग्रहण क्षेत्र में अवस्थित समस्त सार्वजनिक जनसम्पत्तियों यथा सडक मार्ग, सार्वजनिक व निजी मकान, विद्यालय, कार्यालय, स्वास्थ्य इकाइयों, आंगनबाडी केन्द्र, पेयजल स्रोत, उद्यान, श्मशान, प्रार्थना के स्थान यथा मन्दिर, मस्जिद इत्यादि को ज्ञात करना तथा उनके विस्थापन के प्रभाव का आंकलन करना।

viii. इस बात का समुचित निर्धारण करना कि प्रस्तावित क्षेत्र से कम क्षेत्र का अधिग्रहण नहीं किया जा सकता तथा प्रस्तावित स्थान ही प्रस्तावित परियोजना के लिए सर्वथा उपयुक्त है। इसके अतिरिक्त कोई अन्य स्थान अधिग्रहण हेतु उपयुक्त नहीं है। साथ ही पूर्व में अधिग्रहित कोई अन्य भूमि आसपास अनुपयोगी स्थिति में उपलब्ध नहीं है।

ix. इस बात को सुनिश्चित करना कि परियोजना में सामाजिक समाघातों को हल करने हेतु होने वाले व्यय एवं परियोजना पर होने वाले व्यय, दोनों समग्र व्यय से परियोजना से अपेक्षित लाभ अधिक है।

x. ग्राम सभा, भू-स्वामियों की सहमति की आवश्यकता है अथवा नहीं? - नहीं

xi. सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन कार्य प्रारम्भ होने की दिनांक अधिसूचना जारी होने की दिनांक से होगी।

xii. उक्त सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन कार्य अधिसूचना जारी होने के 180 दिवस की अवधि के भीतर पूर्ण किया जावेगा।

xiii. सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 सपठित राजस्थान भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार नियम, 2016 के प्रावधानों की अक्षरश: पालना की जावेगी।

5. सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन प्रतिवेदन (Social Impact Assessment Study Report) एवं सामाजिक समाघात प्रबन्धन योजना (Social Impact Management Plan) तैयार कर हिन्दी भाषा में संबंधित ग्राम पंचायतों, जिला कलक्टर, उपखण्ड अधिकारी तथा तहसील कार्यालय में उपलब्ध करानी होगी। साथ ही अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित भूमि के निकट सुविधाजनक स्थानों पर इस अधिसूचना को जनसाधारण की जानकारी हेतु चस्पानगी

करानी होगी। संबंधित जिला कलक्टर कार्यालय की सरकारी वेबसाइट, विभागों एवं एजेन्सियों की वेबसाइट पर अपलोड की जानी होगी तथा दो स्थानीय दैनिक हिन्दी समाचार पत्रों (राज्य स्तरीय) में प्रकाशित किया जाना होगा।

6. सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन हेतु एजेन्सी का विवरण:-

सेन्टर फॉर डवलपमेंट कम्यूनिकेशन एण्ड स्टडीज (CDECS),- 0141-2294988/
133, देवी नगर, नन्नू मार्ग, 9950124028/9414077287
सोडाला, जयपुर-302019

7. भूमि अवाप्ति अधिकारी, रीको को उक्त भूमि अवाप्ति हेतु अधिनियम, 2013 की धारा 3(g) के अनुसार कलेक्टर के कृत्यों को पालन करने के लिए पदाभित किया जाता है।

अपेक्षक निकाय की ओर से अधिकृत अधिकारी का विवरण:-

श्री एन.के. पटवा, क्षेत्रीयप्रबन्धक, - 9413337825
इकाई प्रभारी,मण्डोर, रीको

संलग्न:- सूची।

राज्यपाल की आज्ञा से,

महिपाल कुमार,
शासन उप सचिव।

औद्योगिक क्षेत्र दईजर हेतु आवंटित141-02 बीघा भूमि हेतु समुचित पहुंच मार्ग का निर्माण किए जानेके लिए अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित निजी भूमि का खसरावार विवरण

ग्राम देसुरिया खारोलान, तहसील जोधपुर, जिला जोधपुर

क्र.स.	खाता संख्या	खसरा नं.	रकबा (हैक्टेयर में)	अवाप्त किया जाने वाला भूमि का रकबा (हैक्टेयर में)	किस्म	खातेदार का नाम

1.	131	3	19.5058	0.4008	बारानी चतुर्थ	1. जगदीश चन्द्र पुत्र बाबूलाल हिस्सा-1/5 जाति-घासी सा. महामन्दिर खातेदार 2. पुखराज पुत्र बाबूलाल हिस्सा-1/5 जाति-घासी सा. महामन्दिर खातेदार 3. भीकमचन्द पुत्र बाबूलाल हिस्सा-1/5 जाति-घासी सा. महामन्दिर खातेदार 4. राजू उर्फ राजन पुत्र बाबूलाल हिस्सा-1/5 जाति-घासी सा. महामन्दिर खातेदार 5. सम्पतराम पुत्र बाबूलाल हिस्सा-1/5 जाति-घासी सा. महामन्दिर खातेदार
		कुल	**19.5058**	**0.4008**		

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय,जयपुर।